राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय भाषाएँ

*डॉ. महेन्द्र सिंह मीणा

प्रस्तावना

भारत एक सांस्कृतिक–सामाजिक विविधता से परिपूर्ण बहुभाषिक देश है। 2011 की जनगणना में लगभग 1369 भाषा और बोलियों की उपस्थिति को स्वीकार किया गया, जिनमें से 121 ऐसी भाषायें है, जिनके बोलने वालों की संख्या दस हजार से अधिक है। भारतीय संविधान में अनुसूचित 22 भाषायें भारत की 96 प्रतिशत आवादी का प्रतिनिधित्त्व करती है। भाषिक रूप से समृद्ध इस देश का स्याह पक्ष को उजागर करते राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को रेखांकित करती है कि पूर्ववर्ती नीतियों में भाषा संरक्षण के कोई ठोस उपाय नहीं किये गये–"दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाया जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया।" यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को 'लुप्तप्राय' घोषित किया है। बहुत–सी भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं विशेषतः वे जिनकी लिपि नहीं है। जब किसी समुदाय या जनजाति के उस भाषा के बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु होती है तो अक्सर वह भाषा भी उनके साथ समाप्त हो जाती है। अभी तक इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकार्ड करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई या उपाय नहीं किये जाते है। इस दृष्टि से किसी संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार हेतु हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' भारतीय भाषाओं के संदर्भ में स्वीकार करती है कि "भारतीय भाषाएं दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुन्दर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषायें हैं, जिनमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य (गद्य और कविता दोनों) के विशाल भंडार हैं।...सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सभी युवा भारतीयों को अपने देश की भाषाओं के विशाल और समृद्ध भण्डार और इनके साहित्य के खजाने के बारे में जागरूक होना चाहिए।"

भारत की भाषा नीति

भारत की भाषानीति को मुख्यतः दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। आधिकारिक भाषा नीति यानि वह भाषा जिसे शासन–प्रशासन प्रयुक्त करें। और दूसरी भाषा शिक्षण की नीति यानि वे भाषाएँ जिनके संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी भारतीय संविधान नागरिकों को प्रदान करता है।

1. **आधिकारिक भाषा नीति** के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 (2) और 343 (3) में उल्लेखित है कि भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में प्रयुक्त हिन्दी होगी, साथ ही अंग्रेजी 15 वर्षों तक राजकाज की भाषा बनी रहेगी। गैर हिन्दी भाषी प्रदेशों के फलस्वरूप राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा अंग्रेजी को भी हिन्दी के समकक्ष राजभाषा की दर्जा दे दिया गया।

2. **शिक्षण में भाषा संबंधी नीति** भाषाई शिक्षण के साथ ही माध्यम के रूप में किसी भाषा का चुनाव भारतीय भाषा नीति का मुख्य बिन्दु रहा है। इस हेतु भारत में **त्रिभाषा सूत्र** प्रयुक्त किया गया। यह भारत की भाषा नीति का अहम पड़ाव था। इसे 1968 में 'कोठारी आयोग' की सिफारिशों के तहत स्वीकार किया गया और 1986, 1992 और 2005 की शिक्षा नीतियों द्वारा उपांतरण करते हुए दोहराया गया। इस नीति के अनुसार आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्गत 'हिन्दी भाषी क्षेत्रों में दक्षिण भारत की एक भाषा के साथ हिन्दी–अंग्रेजी का ज्ञान करवाया जायेगा, जबकि दक्षिण भारतीय प्रदेशों में वहां की क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिन्दी–अंग्रेजी सिखाई जावेगी।'

त्रिभाषा सूत्र के कियान्वयन में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। पूरे देश में इसे अलग–अलग कक्षाओं के स्तर पर स्वीकार किया गया। भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषाओं के साथ उक्त तीन भाषाओं को भी सीखना था। हिन्दी भाषी प्रदेशों ने तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत को बढ़ावा दिया, वहीं कुछ राज्य संस्थाओं ने विदेशी भाषा को भी सिखाना प्रारंभ कर दिया। हिन्दी प्रदेशों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के पाठ्यक्रम को जगह नहीं मिली, वहीं तमिलनाडू और पॉडीचेरी ने द्विभाषा नीति ही लागू की। उडीसा जैसे राज्यों ने जनजातीय क्षेत्रों में मातृभाषा में शिक्षण कार्यक्रम चलाया।1968 की भाषा नीति में हालांकि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्त्व का विषय घोषित करने के साथ 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का रास्ता तैयार किया, संस्कृत को पुर्नस्थापित किया, फिर भी **त्रिभाषा सूत्र** राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम था। बाद की सरकारों ने भी इस भाषा नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। 1986 और 1992 में इस नीति की समीक्षा के क्रम में लिखा गया कि–"1968 की शिक्षा नीति में भाषाओं के विकास के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था। उस नीति की मूल सिफारिशों में सुधार की गुंजाइश शायद ही हो और वे जितनी प्रासंगिक पहले थी; उतनी आज भी है, किन्तु देशभर में 1968 की नीति का पालन एक समान नहीं हुआ। अब इस नीति को अधिक सक्रियता और सोद्देश्यता से लागू किया जायेगा।" बाद की शिक्षा नीतियों में जिस प्रतिबद्धता के साथ त्रिभाषा नीति को लागू करने की बचनबद्धता दिखाई, वह सिर्फ फाइलों में ही दबी रह गई। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे नये रूप में फिर से सामने रखा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

'न्यायसम्मत समाज और देश के विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने के उद्देश्य' से भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को अंगीकार किया गया। भारत सरकार ने 2015 ई. में स्वीकृत 'वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा 2030' के अनुसार भारत में 2030 तक 'सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने' का लक्ष्य निर्धारित किया है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के भारतीय भाषा संबंधी प्रावधान इस प्रकार है–

1 त्रिभाषा सूत्र–

उक्त शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र को क्रियान्वित करने की प्रतिबद्धता पूर्व सरकारों की भांति दर्शाती है, किन्तु साथ ही राज्यों को द्वितीय और तृतीय भाषा के चयन में लचीलापन प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित करती है कि कोई भी भाषा किसी राज्य पर नहीं थोपी जा सकती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में उल्लेखित अनिवार्य हिन्दी विषय को भी भारी विरोध के चलते दक्षिण भारतीय राज्यों के पाठ्यक्रम से हटा लिया गया। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'में भारतीय भाषाओं के महत्त्व को स्वीकार करने, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के साथ अध्ययन– अध्यापन में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय बिन्दू निम्न है–

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' यह मानती है कि "छोटे बच्चे अपने घर की भाषा/ मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते है।' इसलिए 'जहां तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन यह बेहतर होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।"

- "यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके।"

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में प्रावधान किया गया है कि ''बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होगे, जिनमें से कम से कम तीन में से दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ हो।"

- राज्य न केवल 'त्रिभाषा फार्मूले को अपनाएं अपितु 'देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बडी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए द्वि–पक्षीय समझौते करें।'

- भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के साथ उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं, इन भाषाओं की शब्दावली के स्त्रोत एवं उद्‌भव को ढूंढने और अंतरों को जानने के लिए 6 से 8 ग्रेड के विद्यार्थियों को 'द लैंग्वेज ऑफ इंडिया' जैसे प्रोजेक्ट/गतिविधि में भाग लेना होगा जिससे वे यह जान सकेंगे कि भारत के किस भौगोलिक भाग में कौनसी भाषा बोली जाती है। इससे वे न केवल आदिवासी भाषाओं की प्रकृति और संरचना को जानने–समझने के साथ अपितु भारत की हर प्रमुख भाषा के समृद्ध और उभरते साहित्य के बारे में भी अपनी जानकारी में विस्तार कर पायेंगे। यह गतिविधि उन्हें भारतीय एकता और विविधता का अहसास कराने के साथ सुन्दर सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवायेगी।

- स्कूली बच्चों में बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला का जल्द क्रियान्वयन करने के साथ जब भी संभव हो मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा अधिक अनुभव आधारित भाषा शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

2. भाषाई संरक्षण –

किसी भी देश की पहचान का माध्यम उसकी कला और सांस्कृतिक विरासत होती है। भाषा का संबंध कला और संस्कृति से अटूट है। अतः संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा। भाषाएँ दुनिया को देखने का तरीका प्रस्तुत करती है। मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है, यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। लहजा, अनुभव की समझ, और एक ही भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की बातचीत का अपनापन आदि उस भाषिक संस्कृति का प्रतिबिंवन और दस्तावेज है। कहा जा सकता है कि संस्कृति का दायरा हमारी भाषाओं तक फैला हुआ है। साहित्य, नाटक, फिल्म आदि कलारूपों की सराहना या आलोचना बिन भाषा के संभव नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस हेतु निम्न प्रयास किये गए है–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रेखांकित करती है कि ''भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें

इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम और प्रिंट सामग्री का प्रवाह बने रहना चाहिए– जिसमें पाठय पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीड़ियो, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि शामिल है।

- भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भंडार को आधिकारिक रूप से लगातार अपडेट अद्यतन होते रहना चाहिए और उसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके।

- भारतीय भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने की गति बढ़ानी होगी।

- भारतीय भाषाओं के समृद्ध–कलात्मक खजाने के संरक्षण और देश के बच्चों के संवर्धन हेतु सार्वजनिक और निजी सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के पास, भारत की शास्त्रीय भाषाओं और उनसे जुड़े साहित्य को कम से कम दो साल सीखने का विकल्प होगा।

- प्रौद्योगिकी, क्राउडसोर्सिंग एवं लोगों की व्यापक भागेदारी से शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित एवं बढ़ावा दिया जायेगा।

- उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों के लिए छात्रवृति की स्थापना की जायेगी। भारतीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार हेतु शिक्षण–अधिगम में उनका प्रयोग किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कविताओं एवं गद्य के लिए पुरस्कार की स्थापना की जाएगी। भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार अर्हता के मानदंडों के हिस्से के तौर पर शामिल किया जायेगा।

- अभी भी हजारों की संख्या में ऐसी अकादमियां, संग्रहालय, कला वीथिकाएँ और धरोहर स्थल है जिनके सुचारू संचालन हेतु योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। कला, भाषा और मानविकी आदि के क्षेत्र में डिग्री और कार्यक्रमों बनाने से इन पदो को योग्य व्यक्तियों के माध्यम से भरा जा सकेगा।

- भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी। इनमें हर भाषा के श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से उस भाषा को बोलने वाले लोग शामिल होंगे, ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किन्तु सटीक भण्डार तय किया जा सके तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोष जारी किया जा सके। 91

- सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु बेब आधारित प्लेटफॉर्म/पोर्टल/विकीपीड़िया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इस हेतु वीड़ियो, शब्दकोष, रिकार्डिंग एवं अन्य सामग्री को संरक्षित किया जाएगा।

3.संस्कृत एवं अन्य शास्त्रीय भाषाऐं

- संस्कृत को त्रिभाषा के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तर पर समृद्ध विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना –संस्कृत, संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा है, जिसका शास्त्रीय साहित्य का भंडार सारे लैटिन और ग्रीक साहित्य से भी विशाल है। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत,

राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी आदि ज्ञान प्रणालियों में प्रचुर साहित्य मिलता है। अत भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 फाउंडेशनल और मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठय–पुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने के लिए सरल मानक संस्कृत में लिखा जा सकेगा।

- संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्यधारा में लाया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला के तहत संस्कृत को स्कूलों के साथ उच्च शिक्षा में भी लाया जाएगा। इसे समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक, योग आदि से जोड़ा जाएगा। संस्कृत में चार वर्षीय बहुविषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड़ में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

- भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य को जीवंत बनाये रखना– भारत में तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया जैसी शास्त्रीय भाषाओं के साथ पालि, फारसी, प्राकृत आदि भाषाओं के साहित्य को भावी पीढ़ी हेतु संरक्षित रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उल्लेखित करती है कि ''संस्कृत के अलावा, भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएँ और साहित्य, जिनमें तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पालि, फारसी और प्राकृत शामिल हैं, स्कूलों में भी व्यापक रूप से छात्रों के लिए विकल्प के रूप में संभवतः ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में अनुभवात्मक और अभिनव एप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भाषा और साहित्य जीवित और जीवंत रहे।'' सभी भारतीय भाषाओं, जो समृद्ध मौखिक और लिखित साहित्य, सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान को अपने में संजोए हुए हैं, के लिए इसी प्रकार के प्रयास किए जायेंगे।

- भारत सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले संस्थानों ओर विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास करेगा जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है।

- देश भर में संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा । भाषाओं के लिए एक नया संस्थान भी बनाया जायेगा। विश्वविद्यालय परिसर में पाली, फारसी और प्राकृत भाषा के राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जायेंगे।

4. भाषा शिक्षण

- **अनुभवात्मक–अधिगम शिक्षणशास्त्र पर आधारित शिक्षण**–सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जायेगा। भाषाओं के सरलीकरण और ऐप्स के अलावा सांस्कृतिक पहलुओं यथा– फिल्म, थियेटर, कथावाचन, काव्य और संगीत से जोड़ते हुए प्रासंगित विषयों और वास्तविक जीवन अनुभवों के साथ संबंध दर्शाते हुए सिखाया जायेगा।

- भारतीय साइन लैंग्वेज को देशभर में मानकीकृत करना।

- भाषा शिक्षण एवं अधिगम में बहुभाषावाद पर जोर।

- जहां संभव और प्रासंगिक हो वहां स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा।

- देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की कमी रही है। उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों के एक बड़े कैडर को विकसित करने के लिए भाारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन आदि के सशक्त विभागों और कार्यक्रमों का विस्तार देश भर में किया जायेगा, साथ ही इन विषयों में डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे।

- भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना आवश्यक है ताकि वह अधिक अनुभव आधारित बने। उस भाषा में बातचीत और अंतःक्रिया करने की क्षमता हो, न कि केवल भाषा–साहित्य, शब्द भंडार और व्याकरण पर जोर दिया जाये। भाषाओं को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए।

5.शिक्षण माध्यम

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में द्विभाषी शिक्षण–अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी एप्रोच का उपयोग करने, बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज में मातृभाषा के साथ बहुभाषिक एक्सपोजर देने, केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों द्वारा क्षेत्रीय और संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषा शिक्षकों हेतु भारी निवेश करने पर बल दिया गया है।

- स्कूली शिक्षा के अंतर्गत शत–प्रतिशत नामांकन दर को हासिल करने, वंचित क्षेत्रों साक्षरता दर बढ़ाने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषाई बाधाओं को दूर करने, सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में बाल साहित्य उपलब्ध करवाने, स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में पर्याप्त मात्रा में मौलिक और अनुदित पुस्तक उपलब्ध करवाने के साथ राष्ट्रीय पुस्तक संबर्धन नीति तैयार करना जरूरी समझा गया है।

- सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों में ड्रापआउट बच्चों की संख्या में कमी हेतु न केवल ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों के विस्तार पर जोर दिया गया है अपितु उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में उपरोक्त कार्यक्रम चलाने के लिए निर्देशित करने की व्यवस्था दी है।

- माध्यमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाओं के वैकल्पिक अध्ययन पर भी जोर दिया गया है।

- ज्यादातर 'उच्चतर शिक्षण संस्थानों और उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रमों में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा ताकि पहुंच और सकल नामांकन अनुपात दोनों में बढ़ोतरी हो सकें।

- सभी भारतीय भाषाओं की मजबूती, उपयोग एवं जीवन्तता को प्रोत्साहन मिल सके; मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- चार वर्षीय डिग्री कार्यक्रमों को भी दो भाषाओं में चलाया जाएगा।

- देशभर के विज्ञान शिक्षकों को दो भाषाओं में पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

6. राष्ट्रीय एकता में भाषाओं की भूमिका

- अपनी कला और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने हेतु विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण सामग्री विकसित की जाएगी।

- स्वदेशी साहित्य और ज्ञान के अध्ययन एवं जानकारी हेतु 'एक भारत– श्रेष्ठ भारत' जैसी गतिविधि आयोजित की जाएगी।

- भारत न केवल जनसंख्या की दृष्टि से अपितु भाषाई विविधता को संजोने वाला विशाल देश है। ऐसे में अगर हमें स्वदेशी जनमानस को उसी के साहित्य से परिचय करवाना हो तो अनुवाद एक आवश्यक कार्य बन जाता है। 2020 की शिक्षा नीति में राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान की स्थापना और अनुवाद में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम चलाने का प्रावधान किया गया है।

- स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्त शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र जहाँ अध्ययन कर रहे हो वे वहाँ की संस्कृति एवं स्थानीय ज्ञान को जान सकें, उत्कृष्ट कलाकारों एवं हस्त शिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

- उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अनुवाद और विवेचना के गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों और डिग्रियों का सृजन किया जाएगा। भारत शीघ्र ही अनुवाद और विवेचना से संबंधित प्रयासों में विस्तार करेगा, जिससे सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री के साथ महत्तवपूर्ण लिखित और मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके लिए 'इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन' की स्थापना की जाएगी। यह संस्थान अनेक बहुभाषी विषय विशेषज्ञ तथा अुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा, जिससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रचारित और प्रसारित करने में मदद मिलेगी।

उक्त बिंन्दुओं के अलावा भी भारतीय भाषाओं से संबंधित कईं ऐसे बिन्दु है जिन पर 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' पर उल्लेखनीय कदम उठाये है,

भाषिक चुनौतियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में उल्लेखित भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रावधानों को लागू करने में सरकार को **शिक्षण, रोजगार** से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे–

- उक्त शिक्षा नीति मानती है कि 2 से 8 बर्ष तक के बच्चे किसी भाषा को अच्छे से सीख और समझ सकते है। ऐसे में उनका बहुभाषाओं का जानकार होना बहुत फायदेमंद होगा। ऐसे में यह भी ध्यान रखना होगा कि जहां यह नीति प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने की हिमायती है, वहीं अधिकांश निजी स्कूलों का माध्यम अंग्रेजी है। सरकारी स्कूल राज्य सरकार की नीति के मुताबिक क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान कर रहे है।

- कईं राज्यों में मातृभाषा का चिह्नांकन के प्रश्न से प्रशासन को जूझना पड़ेगा, साथ ही बहुभाषिक कक्षा का प्रबंधन करना भी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। सघन बहुभाषिकता वाले अरूणाचल, सिक्किम, नागालैंड जैसे राज्यों में किसी प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में मातृभाषा का शिक्षण बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा।

- उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं में शिक्षण हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है।

- उच्च शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी ही मुख्य भाषा माध्यम है, ऐसे में क्षेत्रीय या अन्य भारतीय भाषाओं के छात्रों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

- अधिकांश विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के संस्थान जैसे आई.आई.टी, एम्स और अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी ही है। ऐसे में शिक्षण संबंधी उपरोक्त सभी चुनौतियों के बीच अभिजात वर्ग के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को इस नीति से मुख्य फायदा होगा। अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत छात्र अन्य मातृभाषाओं में शिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

रोजगार के नजरिये से मातृभाषा में शिक्षित व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र और उस भाषा शिक्षक के रूप में सीमित रोजगार ही उपलब्ध हो पायेगा। केन्द्रीय नियुक्तियों और राज्य की नियुक्तियों की परीक्षाओं में भाषा का माध्यम एक अवरोध साबित होगा। मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं में ही निपुण अभ्यर्थी को मुख्यतः निम्न परेशानियों का सामना करना होगा–

- अंग्रेजी उच्च शिक्षा, उच्च स्तरीय प्रशासन और न्यायिक भाषा बनी रहेगी, ऐसे में इन क्षेत्रों की प्रतियोगिता से स्वतः ही बाहर हो जाएगा।

- बहुत से सरकारी क्षेत्रों यथा गेट आदि की परीक्षा मात्र अंग्रेजी माध्यम में ही होती है।

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 64 प्रतिशत नियोक्ता मानते है कि अंग्रेजी की अच्छी पकड़ रखने वाले अभ्यर्थी को बेहतर पैकेज प्रस्ताव मिलते है। वहीं 90 प्रतिशत नियोक्ता निजी क्षेत्र में अंग्रेजी को कार्य माध्यम के रूप में चयन करते है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को रोजगार के अल्प क्षेत्र प्राप्त होंगे, जिसने खराब बुनियादी सुविधाओं के साथ मातृभाषा में अध्ययन किया है।

भाषिक नीति के क्रियान्वयन की बाधायें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित भाषा नीति शिक्षण माध्यम पर केन्द्रित है। इसमें बहुभाषिकता के साथ मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षण पर जोर दिया है। इस नीति को लागू करने में निम्न बाधाओं का सामना करना होगा –

- मातृभाषाओं के महत्त्व को सीमित रूप में देखना।
- अंग्रेजी माध्यम शिक्षण को वरीयता।
- एक ही कक्षा में अनेक मातृभाषा के शिक्षणार्थियों का होना।
- नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कमजोर संसाधन।
- आर्थिक, सामाजिक और रोजगारपरक नाउम्मीद।
- बहुसंख्यक भाषा के हावी होने का डर, आदि।

प्रभावी क्रियान्वयन के सुझाव

- मातृभाषा और बहुभाषिकता के महत्त्व और उपयोगिता से जनसाधारण को जागरूक करना।
- राज्य द्वारा भाषाई विकल्पों के बीच लचीलापन प्रदान करना।

- शिक्षण संस्थाओं को आवश्यक संसाधनों के साथ शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण हेतु प्रशिक्षण देना।
- उच्च शिक्षा में आधारभूत संरचना और सुविधाओं का विकास।
- मातृभाषाओं में रोजगार की संभावना को बढ़ावा देना।
- हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीक, विज्ञान की स्तरीय पाठ्य सामग्री के अभाव को दूर किया जाये।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शायद पहला राष्ट्रीय प्रयास है जिसमें भारतीय भाषाओं के बारे में समग्रता के साथ चिंतन किया है। यह नीति एक ओर भारतीय भाषाओं के अध्ययन – अध्यापन और अनुसंधान का स्वभाविक मार्ग बताने की ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर मातृभाषा को शिक्षण–अधिगम का माध्यम बनाने का साहसिक निर्णय लेती है। आजादी के बाद हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के उत्थान का जो सपना देखा था, वह पूर्ण नहीं हो पाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नीति निर्धारक भारत के शैक्षणिक परिदृश्य में भारतीय भाषाओं को पहचानने, स्वीकार करने और उनका प्रसार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध दिखाई देते है।

भारतीय भाषाओं को महत्त्व को उजागर करने वाले कईं पहलू है जिन पर सरकारों का ध्यान गया है, यथा – केन्द्रीय स्तर पर भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर तैयार करवाना, मेडिकल की राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा को 12 भारतीय भाषा में आयोजित करना, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल का पाठ्यक्रम हिन्दी में तैयार करवाना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इंजिनियरिंग का पाठ्यक्रम आठ भाषाओं में तैयार करना, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के पाठ्यक्रम में कक्षा 8 तक की पढ़ाई अनिवार्य रूप से मातृभाषा में करवाये जाने पर जोर देना, आदि ऐसे कार्य है जो सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये है। इसके अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा 5 तक निर्धारित भाषा संबंधी नियम सरकारी के साथ निजी संस्थानों पर सख्ती से लागू होना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारी शिक्षा व्यवस्था का स्वदेशीकरण संभव है अन्यथा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने वाला यह कदम अमीर–गरीब के बीच खांई पैदा करने वाला सावित होगा। जब तक सामाजिक और शैक्षणिक जगत में इस नीति का स्वीकार नहीं होगा, तब तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। अतः इस नीति के सकारात्मक पक्षों को उजाागर करने के साथ जन सहभागिता को बढ़ाया जाना अपेक्षित होगा।

***सहायक आचार्य–हिन्दी**
राजकीय महाविद्यालय
करौली (राज.)